



मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी, भोपाल
(मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 01/ग्रा.स.अकादमी/2023 भोपाल दिनांक 15/05/2023

निविदा प्रपत्र

म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी के प्रशासनिक भवन, छात्रावास एवं अतिथि गृह में स्थापित एयर कंडीशनर के वार्षिक रख-रखाव कार्य

निदेशक

म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी,
वाल्मी हिल्स, कलियासोत डेम,
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) 462016



मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी

वाल्मी हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

(मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन)

Phone No.: 0755-2499054

www.mprra.com

Email : director.mprra@gmail.com

क्र. 333/स्थापना/ग्रा.स.अकादमी/2023

भोपाल, दिनांक 15/05/2023

निविदा सूचना


मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी के प्रशासनिक भवन, छात्रावास एवं अतिथि गृह में स्थापित 01 से 02 टन क्षमता वाले 42 नग स्प्लिट/विण्डो एयर कंडीशनर एवं 2 से 4 टन क्षमता वाले 08 नग कैसेट ए.सी. के वार्षिक रख-रखाव (Comprehensive Maintenance) हेतु दिनांक 30.05.2023 को अपराह्न 3:00 बजे तक सक्षम संस्थाओं से बंद लिफाफे में दरें आमंत्रित की जाती है। आवश्यकतानुसार उल्लेखित ए.सी. की संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 30.05.2023 अपराह्न 4:00 बजे अकादमी में निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा फार्म कार्यालय समय में दिनांक 29.05.2023 तक रूपये 1180/- (रूपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) की राशि लेखा शाखा में जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. निर्धारित दिनांक एवं समय-सीमा के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. ए.सी. के रख-रखाव (Comprehensive Maintenance) कार्य हेतु निविदा फार्म के साथ रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) केवल की धरोहर राशि निदेशक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी भोपाल के पक्ष में डी.डी./एफ.डी.आर. के रूप में जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी।
3. न्यूनतम दर के दो निविदाकारों के अतिरिक्त शेष निविदाकारों द्वारा जमा राशि अकादमी द्वारा निविदा पर निर्णय उपरांत वापस की जा सकती है।
4. निविदा निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत की जा सकती है :-
 1. निविदाकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड कंपनी हो सकती है। यदि यह फर्म है तो नियमानुसार पंजीयन होना चाहिए।
 2. निविदाकर्ता का मुख्यालय या सर्विस कार्यालय भोपाल में स्थित होना चाहिए।
 3. निविदा/अनुबंध के संबंध में किसी भी सिविल वाद का न्यायालय क्षेत्र भोपाल रहेगा।
 4. निविदा स्वीकार न होने की स्थिति में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।
 5. निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय निदेशक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी (म.प्र.ग्रा.स.अ.) का होगा।
 6. यह निविदा वार्षिक कम्प्रेहेसिव (Comprehensive) दरो हेतु आमंत्रित की जा रही है, अतः निविदा में कम्प्रेहेसिव दरे दर्शाना आवश्यक है। दरे अंको एवं शब्दों में अंकित करना होगा। कम्प्रेहेसिव दर निविदा में Regular maintenance एवं Break down maintenance दोनों सम्मिलित होंगी। इस निविदा सूचना सहित निविदा के समस्त पृष्ठ सहमति स्वरूप स्व प्रमाणित करके प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है।
 7. फर्म का एयर कंडीशनर के रख-रखाव में पूर्ण दक्षता होना एवं शासकीय उपक्रम/विभाग में इस प्रकार के कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। शासकीय विभाग में कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।

8. संस्था का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। संस्था को पिछले तीन वर्ष में जमा किये गये इनकम टैक्स संबंधी जानकारी/रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
9. रख-रखाव (Regular maintenance) नियमित रूप से प्रति तिमाही में एक बार करना होगा। रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। यह फर्म का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह रख-रखाव के लिये म.प्र.ग्रा.स.अ. से सम्पर्क करे, एयर कंडीशनर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करे और आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य को यथा समय पूर्ण करे। फर्म द्वारा इसका रिकार्ड रखा जाना है तथा इसे संबंधित अधिकारी जिसके कक्ष में ए.सी. स्थापित है तथा स्थापना शाखा से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
10. ए.सी. उपकरण कार्यालय से बाहर वर्कशाप/लैब में सुधारने हेतु ले जाने पर अलग से कोई राशि भुगतान नहीं की जावेगी। इसमें लगने वाले समय से अवगत कराना होगा और निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा तथा इसकी पूर्व अनुमति अकादमी से लेनी होगी।
11. कम्प्रेहेसिव दर में ए.सी. के समस्त पार्ट्स की मरम्मत/बदलना (Replacement) शामिल रहेंगे जिसका रख-रखाव एवं मरम्मत तथा आवश्यक होने पर बदलना (Replacement) फर्म को करना होगा जिसमें एम.सी.बी., सॉकेट, सॉकेट पिन, गैस फिलिंग और केबिल इत्यादि भी शामिल रहेंगे। इसके लिये पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. अनुबंध अवधि में कभी भी आवश्यकतानुसार फर्म को दूरभाष पर कार्य हेतु सूचित करने पर यथा संभव तत्काल अथवा 24 घण्टे के अंदर उपस्थित होकर कार्य सम्पन्न करना होगा। यदि 24 घण्टे के पश्चात भी ए.सी. चालू नहीं किया जाता है तो म.प्र.ग्रा.स.अ. को रू. 500/- प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी वसूल करने का अधिकार रहेगा। संस्था को एक पंजी संधारित करना होगा जिसमें सूचना प्राप्त होने का समय एवं तिथि, किये गये कार्य (Regular maintenance एवं Break down maintenance) का विवरण अंकित होगा, जिसका सत्यापन संबंधित अधिकारी एवं स्थापना शाखा से कराना होगा।
13. रख-रखाव एवं Break down maintenance का कार्य एक वर्ष के लिये अनुबंधित किया जावेगा। निविदा के संलग्न समस्त आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। यह अनुबंध हस्तांतरित होने की दिनांक से 01 वर्ष हेतु लागू रहेगा।
14. संस्था को अनुबंध अनुसार ए.सी. संधारण कार्य निर्धारित समयावधि तक करने के लिये बाध्यता होगी। कार्य संतोषप्रद होने पर दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि अनुबंध समाप्त होने की दिनांक से इन्हीं अनुमोदित दरों पर अधिकतम 02 वर्षों हेतु बढ़ाई जा सकती है।
15. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा की निर्धारित शर्तों का नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर फर्म एवं निदेशक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी के नाम से अनुबंध पत्र प्रस्तुत तथा हस्ताक्षरित करना होगा जिससे कार्य का अनुबंध लागू किया जा सके।
16. निविदा के साथ रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की धरोहर राशि निदेशक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में जमा करना होगी। यदि निविदा स्वीकार होती है तो यह राशि म.प्र.ग्रा.स.अ. के पास परफॉरमेंस गारंटी के रूप में रहेगी। परफॉरमेंस गारंटी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा स्वीकृति पश्चात

- निर्धारित समयावधि में अनुबंध न करने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी तथा फर्म को दुबारा निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
17. शर्तों का पालन न किये जाने पर अनुबंध म.प्र.ग्रा.स.अ. द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में परफॉरमेंस गारंटी राशि राजसात कर जी जावेगी तथा निविदाकर को ब्लैक लिस्टेड (Black listed) किया जायेगा। इस संबंध में निदेशक, म.प्र.ग्रा.स.अ. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
 18. निविदाकर्ता द्वारा अपने स्तर पर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी के प्रशासनिक भवन, छात्रावास एवं अतिथि गृह में स्थापित सभी 01 से 02 टन क्षमता वाले 42 स्पिलट/विंडो एयर कंडीशनर एवं 02 से 04 टन क्षमता वाले 08 नग केसैट ए.सी. का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वो सभी वर्किंग कंडीशन में है। एक बार निविदा प्राप्त होने के पश्चात चुने जाने पर इन सभी एयर कंडीशनर के रखरखाव और इन्हे चलायमान स्थिति (Working condition) रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
 19. इस कार्य के विरुद्ध कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान, हर तिमाही (Quarterly basis) पर स्वीकृत वार्षिक दर की 1/4 राशि, देयक प्राप्त होने पर किया जावेगा। इस देयक के साथ प्रति तिमाही की जाने वाली रख-रखाव (Regular & Breakdown maintenance) का प्रमाणिक विवरण दिया जाना होगा। इस पर स्थापना शाखा की सहमति आवश्यक होगी। कॉन्ट्रैक्टर के देयक से टैक्स आदि की सभी कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।
 20. निदेशक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी को इस टेण्डर प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा एक या समस्त टेण्डरो को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 21. निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों की पी.एफ., सुरक्षा आदि हेतु Principal Employer के रूप में पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा इस हेतु म.प्र.ग्रा.स.अ. की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 22. निविदाकर्ता को तीन (Three) लिफाफे (Envelopes) 'A', 'B' एवं 'C' में निविदा प्रस्तुत करनी होगी। Envelope 'A' में धरोहर राशि, Envelope 'B' Technical Bid में निविदाकर्ता के गठन की प्रति, Shops and establishment Act के रजिस्ट्रेशन की प्रति, GST रजिस्ट्रेशन, पी.एफ. रजिस्ट्रेशन, तीन वर्ष का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति, कार्यानुभव प्रमाण पत्र रखी जावेगी। Envelope 'C' में Comprehensive Maintenance हेतु Financial Bid रखी जावेगी। Financial Bid में GST को छोड़कर दर प्रस्तुत की जावेगी। प्रस्तुत दरों पर GST का भुगतान अकादमी द्वारा भुगतान तिथि पर लागू दरों से किया जावेगा। Envelope 'A' में क्वॉलिफाई करने के पश्चात Envelope 'B' खोला जावेगा तथा Envelope 'A' एवं 'B' में क्वॉलिफाई करने के पश्चात Envelope 'C' खोला जावेगा।
 23. Envelope 'B' में रखने वाले दस्तावेजों की एकजाई सूची प्रपत्र 'अ' में तथा Envelope 'C' में दिये जाने वाले दरों का प्रोफार्मा प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है।


निदेशक
15.5.2023
म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी
भोपाल

प्रपत्र 'अ'

टेक्निकल बिड हेतु Envelope 'B' में दिये जाने वाले दस्तावेजो की सूची।

स.क्र.	जानकारी	दस्तावेज
1	2	3
1	गठन की जानकारी।	यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र, पार्टनरशिप डीड की प्रति। यदि लिमिटेड कंपनी है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा मेमोरेण्डम की प्रति।
2	Shops Establishment Act के संबध में।	पंजीकरण की प्रति।
3	शासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव।	अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।
4	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन	पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
5	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण।	पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
6	तीन (03) वर्ष का आयकर रिटर्न।	03 वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति।

नोट : उपरोक्त सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए।

हस्ताक्षर
दिनांक :-
नाम :-
पता :-
सील :-